कार्यालय मुख्य विद्युत निरीक्षक, छ०ग०शासन,
बी-ब्लाक, द्वितीय मंजिल,
इन्द्रावती भवन, नया रायपुर, फेक्स-0771-2511483
ceiraipur@gmial.com

क्रमांक/स्था-1/प०व्य०/तेरह/ /नया रायपुर/दिनॉकः-

आदेश

निःशक्तजनों के बैकलांग के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विशेष भर्ती अभियान 2015 के तहत् विभागीय चयन समिति के द्वारा मैरिट के आधार पर निम्नलिखित निःशक्त पात्र उम्मीदवार को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक मुख्य विद्युत निरीक्षकालय के अन्तर्गत **उपअभियंता** के पद पर वेतनमान रूपये 9300-34800 ग्रेड वेतन 4200 मे कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर प्रावधिक रूप से नियुक्त किया जाकर उनके नाम के समक्ष दर्शाये गये कार्यालय मे पदस्थ किया जाता हैं :-

स० क्र०	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	वर्ग	पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1	श्री प्रकाश देवांगन,	पिता श्री राजूलाल देवांगन	अनारक्षित	द्वारा- राजू सायकल स्टोर्स साक्षरता चौक शास्त्री नगर केम्प-1 भिलाई (छ०ग०)	कार्यालय सहायक अभियंता (विसु)एवं सहायक विद्युत निरीक्षक, छ०ग०शासन, उपसंभाग दुर्ग, दयानंद परिसर आर्यनगर दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ०ग०)

2. **नियुक्ति की शर्ते निम्नानुसार हैं :-**

(1) शासकीय सेवा के दौरान अधिकारीगण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961, छ०ग०सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथ अपील) नियम, 1966 से शासित होंगे ।

(2) यह नियुक्ति पूर्णतः अंनतिम हैं तथा बिना कोई कारण बताये एक माह के नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/ भत्ते देकर सेवा समाप्त की जा सकेगी । इसी प्रकार संबंधित अधिकारी द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते जमा कराकर सेवा से त्यागपत्र दिया जा सकेगा ।

(3) परिवीक्षा अवधि मे विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगी अथवा विद्युत निरीक्षकालय विभागीय परीक्षा नियम 1987 मे विहित नियमों के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की जावेगी । परिवीक्षाधीन अवधि मे कार्य संतोषजनक न पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी ।

परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर नियमानुसार कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियमित नियुक्ति मानी जावेगी ।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि नियुक्ति मे शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नियम एवं रोस्टर का पालन किया गया हैं ।

//2पर//

02 FEB 2016

(5) उम्मीद्वार को जिला मेडीकल बोर्ड द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र उपस्थिति दिनांक के 30 दिवस के अंदर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । वेतन का पहली बार आहरण स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही किया जावेगा । अपात्र पाये जाने पर बिना कारण बताये सेवाएं तत्काल समाप्त की जावेगी ।

(6) उपस्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के दिनांक से 30 दिवस के अंदर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम '19' के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र मे अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

(7) नियुक्ति स्थान पर पदभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(8) उम्मीद्वार को इस आदेश के जारी होने की दिनांक से 15 दिनों के अंदर अपने नाम के समक्ष दर्शाये गये स्थान मे कार्यालयीन समय/दिवस पर संबंधित अधिकारी को उपस्थिति देनी होगी, अन्यथा यह मानकर कि वे इस पद पर नहीं आना चाहते है, उनका नियुक्ति आदेश निरस्त समझा जावेगा । नियुक्ति आदेश छत्तीसगढ़ शासन की वेबसाईट (http:/cgstate.gov.in) से डाउनलोड कर पदस्थापना कार्यालय मे निर्धारित अवधि के अंदर उपस्थिति देवे ।

(9) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 13–4/2006/आ.प्र./1–3 नया रायपुर दिनांक 29 जून 2013 की कंडिका-6(2) अनुसार आरक्षित पद पर नियुक्त अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय निर्धारित प्रारूप (एफ) मे शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

(10) पदस्थापना कार्यालय मे उपस्थिति देते समय शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, उच्च स्तरीय छानबीन समिति से सत्यापित जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूलप्रति प्रस्तुत करेंगे । संबंधित कार्यालय प्रमुख सभी दस्तावेजों का सत्यापन कर उपस्थिति स्वीकर करने की सूचना लिखित मे 07 दिनों के भीतर इस कार्यालय को देंगे ।

(11) चयनित अभ्यर्थी उपस्थिति प्रस्तुत करते समय अनुप्रमाणन प्रमाण पत्र भरकर शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत करें ।

(12) सभी अभ्यर्थियो को निर्धारित मापदण्ड अनुसार आचरण व चरित्र का पुलिस सत्यापन भी कराये जाने की प्रत्याशा मे नियुक्ति प्रदान की जाती है । यदि पुलिस सत्यापन मे अधिकारी को सेवा के लिये अनुपयुक्त पाये जाने पर नियुक्ति प्राधिकारी के विचार मे यदि, उनका उपयुक्त शासकीय सेवक बनना संभव न होना पाया जायेगा तो, उसकी सेवाएं नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त की जा सकेगी ।

(13) दस्तावेजो के सत्यापन मे कोई भी तथ्य/जानकारी गलत/नियमों के विपरीत तथ्य पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा ।

//3 पर //

(14) आरक्षित प्रवर्ग-(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) के सदस्य होने संबंधी दी गई जानकारी/प्रमाण पत्र यदि गलत पाये गये तो संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी को बिना किसी कोई पूर्व सूचना दिये सेवा से पृथक किया जावेगा तथा उसके विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानो के तहत् कार्यवाही भी की जा सकेगी ।

(15) वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 980/सी-761/वि. /नि./ चार/4, दिनांक 27-2-2004 के अनुसार नियुक्त अभ्यर्थियों के लिए नयी परिभाषित अंशदान आधारित पेंशन योजना लागू होगी ।

(16) अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य मे कही भी उक्त पद एवं वेतनमान पर पदस्थ/ स्थानांतरण किया जा सकता हैं, इसके विरूद्व कोई अभ्यावेदन या याचिका स्वीकार्य नहीं की जावेगी ।

(17) उक्त नियुक्ति रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 591/2012 मे माननीय छ०ग०उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित अंतिम निर्णय के अध्यधीन होगी ।

(पी०के०मजुमदार)
अधीक्षण अभियंता(विसु)एवं
मुख्य विद्युत निरीक्षक,छ०ग०शासन,नया रायपुर

पृ०पत्र क्रमांक/स्था-1/प०व्य०/तेरह/ 1641 **/नया रायपुर/दिनॉकः-** 30/1/16

प्रतिलिपि :-

(1) अवर सचिव, छ०ग०शासन, ऊर्जा विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर (छ०ग०) के पत्र क्रमांक 1653/1531/2014/13/1 पार्ट-2 नया रायपुर दिनांक 9–9–2015 के तारतम्य् मे सूचनार्थ ।

(2) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स आरडीए बिल्डिंग द्वितीय तल, शास्त्री चौक, जी.ई. रोड रायपुर छत्तीसगढ़ को उक्त आदेश की प्रति शासकीय पोर्टल मे उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित ।

(3) कार्यपालन अभियंता (विसु)एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक, छ०ग०शासन, संभाग राजनांदगांव की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

(4) सहायक अभियंता (विसु)एवं सहायक विद्युत निरीक्षक, छ०ग०शासन, उपसंभाग दुर्ग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

(पी०के०मजुमदार)
अधीक्षण अभियंता(विसु)एवं
मुख्य विद्युत निरीक्षक,छ०ग०शासन,नया रायपुर